मज़दूर–विरोधी, जन–विरोधी स्मार्ट बिजली मीटरों का एकजुट होकर विरोध करें!

विभिन्न मज़दूर, किसान और जन संगठनों द्वारा आह्वान

स्मार्ट मीटरों का विरोध करें!

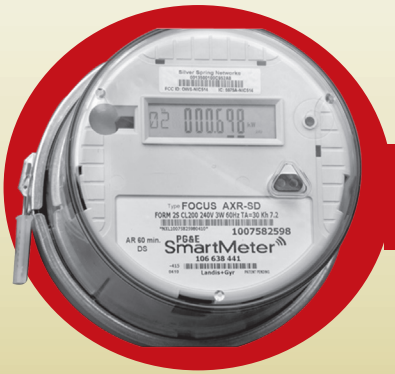

स्मार्ट मीटरों का विरोध करें!

बिजली उपभोक्ताओं और पॉवर सेक्टर कर्मचारियों को एकजुट होकर स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध क्यों करना चाहिए

केंद्र सरकार ने 2025 तक पूरे देश में 25 करोड़ प्री–पेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का फ़ैसला किया है। इस परियोजना ने उपभोक्ताओं और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच बहुत बहस पैदा कर दी है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना का उद्देश्य बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। जबकि कुछ उपभोक्ताओं और मज़दूरों का मानना है कि इससे उन्हें लाभ होगा जबकि उनमें से बहुत सारे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

क्या है स्मार्ट बिजली मीटर?

- स्मार्ट मीटर एक उपकरण है जो बिजली के उपयोग के बारे में ग्राहक और बिजली आपूर्तिकर्ता के बीच दो–तरफा संचार प्रदान करता है। उपभोक्ता यह जान सकता है कि दिन के किसी भी समय या अवधि में कितनी बिजली की खपत हो रही है। दावा किया जाता है कि इस तरह, उपभोक्ता बिजली की खपत की योजना बना सकता है और कुल बिजली बिल को कम कर सकता है।
- बिजली आपूर्तिकर्ता उपभोक्ताओं के लिए खपत, भुगतान, शेष राशि आदि के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन पर एक ऐप बना सकते हैं।
- बिजली आपूर्तिकर्ताओं के लिए, स्मार्ट मीटर उन्हें दिन के अलग–अलग समय के लिए अलग–अलग दरें चार्ज करने में सक्षम बनाते हैं। इसका मतलब है **मांग के आधार पर गतिशील मूल्य निर्धारण** – जब अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए रात में ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी, तब उच्च दरें लागू होंगी।

- स्मार्ट मीटर आपूर्तिकर्ताओं को बिजली की खपत से पहले भुगतान की मांग करना संभव बनाता है, यानी **प्री–पेड आपूर्ति**। प्री–पेड राशि समाप्त होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी। बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए किसी कर्मचारी को आने की ज़रूरत नहीं है।

कामगार एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं की एक टीम ने परियोजना के विवरण के साथ–साथ दावों और प्रतिदावों को समझने के लिए अध्ययन किया। इसके घोषित उद्देश्य क्या हैं? क्या वास्तविक उद्देश्य भिन्न हैं, और यदि हाँ तो वे क्या हैं? इस परियोजना से किसे लाभ होगा और किसे नुकसान होगा? इसका कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों पर क्या असर होगा? स्मार्ट मीटर का वित्तपोषण कौन करेगा और इसकी लागत कैसे और किससे वसूल की जाएगी?

अध्ययन के निष्कर्ष :

1. स्मार्ट मीटर की परियोजना बड़े कॉरपोरेट्स की मांगों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है।

2. बिजली वितरण का निजीकरण हुआ हो या नहीं, स्मार्ट मीटर सभी उपभोक्ताओं और मज़दूरों के हितों के ख़िलाफ़ है।

3. यह बिजली क्षेत्र के सबसे लाभदायक हिस्सों का और अधिक निजीकरण करने की दिशा में एक क़दम है।

4. यह परियोजना निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण की नीति के अनुरूप है, जिसे कांग्रेस सरकार ने 1991 में पेश किया था, जिसे तब से सभी केंद्र सरकारों ने लागू किया है।

5. पहले की तरह, सरकार यह दावा करके कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है कि स्मार्ट मीटर से फ़ायदा होगा।

6. वास्तव में, वे बड़े कॉरपोरेटों के उपयोग और अत्यधिक मुनाफ़ा कमाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिये लोगों का पैसा खर्च करने की योजना बना रहे हैं।

7. इस परियोजना से मज़दूरों और उपभोक्ताओं, दोनों को फ़ायदा होने की बजाय कई तरह से नुक़सान होगा, इसलिए एकजुट होकर इसका विरोध करना ज़रूरी है!

उन क्षेत्रों का अनुभव जहां बिजली का निजीकरण किया गया है

देश के कुछ प्रमुख शहरों में बिजली वितरण का पहले ही निजीकरण हो चुका है। टाटा समूह मुंबई और दिल्ली में, अदानी समूह मुंबई में, गोयनका समूह कोलकता में, टोरेंट समूह अहमदाबाद में आपूर्ति करता है। टाटा समूह ओडिशा के एक हिस्से में बिजली भी वितरित करता है। कुछ शहरों में, निजी इजारेदार (मोनोपोलीज) राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की फ्रेंचाइजी के रूप में कार्य कर रहे हैं और बिलिंग और संग्रह के लिए ज़िम्मेदार हैं, उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी, कलवा, मुंब्रा और दिवा में टोरेंट समूह।

सरकार और कॉरपोरेटों के दावों के विपरीत, मुंबई में उपभोक्ताओं को निजी वितरण से कोई लाभ नहीं मिला है। वहां बिजली की दरें देश में सबसे ज्यादा हैं। सरकार का दावा है कि वितरण में प्रतिस्पर्धा से बिजली सस्ती होगी और उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी। परन्तु, मुंबई के उपभोक्ताओं के अनुभव से पता चलता है कि मुंबई में काम कर रहे दो निजी इजारेदार, टाटा और अदानी की उपस्थिति के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। निजी वितरक टाटा की प्रति माह 300 यूनिट तक की खपत के लिए टैरिफ को दोगुना से अधिक करने की हालिया मांग आंशिक रूप से स्वीकार

किए जाने के बाद अब मुंबई में छोटे उपभोक्ताओं की स्थिति वास्तव में बदतर हो गई है।

भिवंडी, कलवा, मुंब्रा आदि फ्रेंचाइजी क्षेत्रों में लोगों का अनुभव दुखद रहा है।

वितरण के निजीकरण के तुरंत बाद, पहले लगे मीटरों को, चाहे वे पुराने हों या हाल ही में लगाए गए हों, नए मीटरों से बदल दिया गया। अधिकांश निवासियों का कहना है कि ये मीटर तेज़ चलते हैं और उन्हें पहले की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक बिल चुकाना पड़ता है। कुछ निवासियों को पहले की 400 या 500 रुपये राशि के बजाय हजारों रुपये की राशि के अत्यधिक बढ़े हुए बिल मिलते हैं।

टोरेंट कंपनी उपभोक्ताओं पर ग़लत तरीके से बिजली चोरी का आरोप लगाकर जुर्माना लगाती है। वह बिल वसूली के लिए बाउंसर भेजती है।

बिल की शिकायत होने पर पहले भुगतान करने को कहा जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शिकायत का समाधान हो जायेगा। बिना किसी चेतावनी के बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

बिजली आपूर्ति बेहद अनियमित हो गयी है। कभी–कभी रात में भी घंटों तक बिजली गुल रहती है। टोरेंट पर फोन करने पर वही पुराना रिकार्डेड मैसेज सुनाई देता है।

फ्रेंचाइजी संचालन के दस साल बाद भी भिवंडी के लोग फ्रेंचाइजी व्यवस्था को वापस लेने और वितरक के रूप में डिस्कॉम की बहाली की मांग कर रहे हैं।

जहां एक ओर केंद्र सरकार की स्मार्ट मीटर योजना डिस्कॉम के बिजली आपूर्ति वाले क्षेत्रों में लागू की जा रही है, वहीं दूसरी ओर निजी वितरण कंपनियां भी मुंबई, दिल्ली, आदि शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वे पहले से पैसा इकट्ठा करके, बिलिंग और भुगतान वसूली के खर्च को कम करके, साथ ही इन कामों के लिये जरूरी मज़दूरों की संख्या को कम करके अपना मुनाफ़ा बढ़ाना चाहते हैं। कम लागत का लाभ उपभोक्ताओं को कभी नहीं दिया गया है और न ही दिया जाएगा।

प्री-पेड स्मार्ट मीटर योजना उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, चाहे उन्हें डिस्कॉम द्वारा सेवा दी जाए या निजी इजारेदार द्वारा।

प्री-पेड स्मार्ट बिजली मीटर परियोजना की पृष्ठभूमि

1990 के दशक में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में जन–विरोधी निजीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। अब बिजली का आधे से अधिक उत्पादन टाटा, अदानी, जिंदल, टोरेंट जैसे अन्य बड़े निजी कॉरपोरेटों द्वारा किया जाता है और उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन – सौर्य, पवन, आदि – पूरी तरह से निजी इजारेदार कंपनियों के हाथों में है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न भारतीय और विदेशी निजी कंपनियों के साथ बिजली ख़रीद के दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे बिजली उत्पादन में निवेश करने वाले इजारेदार पूंजीपतियों को भारी निजी मुनाफ़ा हुआ है।

बिजली उत्पादन के निजीकरण के बाद, विभिन्न राज्य सरकारों ने बिजली वितरण का निजीकरण करने का प्रयास किया है। बिजली वितरण की निजी कंपनियां मुंबई और दिल्ली जैसे कुछ शहरों में पहले से ही काम कर रही हैं। लेकिन इस संबंध में जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, इत्यादि जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किये जा रहे निजीकरण के प्रयासों को मज़दूरों व लोगों के लड़ाकू संघर्षों ने रोक रखा है।

आज कॉरपोरेट्स की जो मांगें हैं

निजी बिजली इजारेदार अब पूरी बिजली आपूर्ति श्रृंखला – उत्पादन, पारेषण और वितरण – का स्वामित्व और नियंत्रण करना चाहते हैं।

निजी बिजली इजारेदार कंपनियां सरकार से डिस्कॉम के वित्त को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए कह रही हैं ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिए आकर्षक बनाया जा सके। वे इजारेदार कंपनियां चाहती हैं कि सरकार ऐसे तंत्र बनाये, जो सुनिश्चित करें कि आपूर्ति की गई बिजली के लिए पैसा पूरी तरह और तुरंत वसूल हो जाये और उत्पादन कंपनियों को दिया जाये। अतः निम्नलिखित करें :

1. एक ऐसी प्रणाली बनाएं जिससे व्यक्तिगत, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि और सरकारी ग्राहकों से कोई बकाया बिल भुगतान न रहे।

2. बिजली पर सभी तरह की सब्सिडी को बंद करें। उपभोक्ताओं के किसी भी समूह को दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक उपभोक्ता को सब्सिडी प्राप्त करने के पहले बिजली की पूरी क़ीमत चुकानी होगी।

3. वितरण प्रणाली में चोरी सहित होने वाले अन्य नुकसानों को कम करें, ताकि आपूर्ति की गई अधिकांश बिजली की लागत वसूल हो सके।

4. वितरण के बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक धन से उन्नत करें ताकि उन्हें (कॉर्पोरेट्स को) इसे नवीनीकृत करने के लिए पूंजी निवेश न करना पड़े।

सरकार की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2021 को 3,03,758 करोड़ रुपये के बजट के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की। योजना के तहत कृषि के अलावा उपभोक्ताओं के लिए 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है।

आरडीएसएस के अन्य प्रावधानों के साथ प्री–पेड स्मार्ट मीटरिंग योजना कॉरपोरेटों की सभी मांगों को पूरा करती है। इससे डिस्कॉमों का बिजली का वितरण व्यवसाय आज की तुलना में लाभदायक हो जाएगा। यह डिस्कॉम द्वारा ख़रीदी गई बिजली के भुगतान में देरी के कारण उत्पादक कंपनियों (जेनको) को होने वाली कठिनाई का भी समाधान करेगा।

मीटरों को प्री–पेड बनाने से बिजली आपूर्तिकर्ता को यह आश्वासन मिलता है कि केवल उतनी ही बिजली की आपूर्ति की जाए जिसके लिए पैसे का अग्रिम भुगतान किया गया है। बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिये किसी व्यक्ति की शारीरिक रूप से कोई आवश्यकता नहीं होगी, बिजली को दूर से ही बंद किया जा सकता है।

वितरण के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण हो जायेगा और घाटा कम होगा। स्मार्ट मीटरिंग योजना के अलावा, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरडीएसएस के पास एक और घटक है।

केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की परियोजनाओं के लिए 60 प्रतिशत धनराशि प्रदान करेगी लेकिन इसके लिए डिस्कॉम को अपनी वितरण प्रणाली को मजबूत करने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक समयबद्ध विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। पूर्व–योग्यता मानदंड पूरा होने और हानि कटौती योजना के अनुसार क़दम उठाए जाने के बाद ही धनराशि प्रदान की जाएगी (परिशिष्ट देखें)। **इस प्रकार, वितरण के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाएगा, जिस बुनियादी ढांचे का उपयोग निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा।**

यह स्पष्ट है कि प्री–पेड स्मार्ट मीटरिंग योजना और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अन्य घटकों का वास्तविक उद्देश्य निजीकरण है। तथ्य यह है कि सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के ज़रिये पर ज़ोर दे रही है, जिससे वास्तविक उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है और – वह है निजी कॉर्पोरेटों के लिए लिए बिजली वितरण को आकर्षक बनाना।

उपभोक्ता और बिजली क्षेत्र के कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों के दावों से मूर्ख नहीं बन सकते।

स्मार्ट मीटर की स्थापना अब डिस्कॉम के सबसे आकर्षक संचालन के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए की जा रही है।

बिजली क्षेत्र का निजीकरण जनता और मज़दूरों के हित में क्यों नहीं है?

- बिजली आपूर्ति तक पहुंच आज के युग में सभी मनुष्यों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह एक सर्वव्यापी अधिकार है। इसलिए यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी को सस्ती दरों पर बिजली की पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करे।

- बिजली क्षेत्र का निजीकरण बिजली को मुनाफेखोरी का ज़रिया बना देता है, जिससे हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए बिजली की दरें उनकी पहुँच के बाहर हो जाएंगी।

- यह राज्य द्वारा कर्तव्य का हनन है। यह किफ़ायती दरों पर विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सभी घरों तक पहुंचाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

- निजी कॉर्पोरेट केवल उन्हीं क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना पसंद करते हैं जो सबसे अधिक लाभदायक हैं (ग्राहकों की चुनना)। उन्हें छोटे उपभोक्ताओं या दूर–दराज़ के इलाकों के उपभोक्ताओं को बिजली या पानी की आपूर्ति आदि जैसे सामाजिक रूप से आवश्यक सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे चाहते हैं कि इन उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा सेवा मिलती रहे। यदि सभी लाभदायक उपभोक्ताओं को निजी कॉरपोरेटों द्वारा छीन लिया जाता है और महंगे उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के पास छोड़ दिया जाता है, तो डिस्कॉम का घाटा बढ़ जाएगा और जिसकी भरपाई लोगों को अधिक करों से करनी पड़ेगी।

- वर्तमान में डिस्कॉम स्थान और दूरी की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। डिस्कॉम की भूमिका के कारण देश के हर कोने तक बिजली पहुंच गई है। निजी खिलाड़ियों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। निजीकरण इस संबंध में अब तक की गई प्रगति को नकार देगा।

- निजीकरण के बाद निश्चित रूप से कई मज़दूरों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। स्थायी नौकरियाँ एक तिहाई से एक चौथाई वेतन पर संविदा कर्मियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। सुरक्षा से समझौता किया जाता है। नौकरी की सुरक्षा ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार निजीकरण न केवल वर्तमान कार्य क्षमता को, बल्कि भावी पीढ़ियों को भी नुकसान पहुँचाता है।

इसलिए बिजली क्षेत्र का निजीकरण जन–विरोधी, मज़दूर–विरोधी और समाज–विरोधी है।

स्मार्ट मीटर परियोजना के बारे में झूठ और भ्रामक सूचनाएं

सरकारी प्रवक्ताओं का दावा है कि मीटर लगाने का उद्देश्य बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। उनका दावा है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की योजना बनाने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा और इस प्रकार उनके बिजली बिल में कमी लाएगा।

दूसरी ओर, देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ता और बिजली कर्मचारी प्री–पेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि असली मकसद उन्हें लूटना और बिजली वितरण के निजीकरण का रास्ता साफ करना है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की क़ीमत पर बिजली क्षेत्र में कॉरपोरेटों के मुनाफ़े को अधिकतम करने में मदद करेगा।

गांवों में लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एक बार स्मार्ट मीटर लगने के बाद खेती के लिए बिजली आपूर्ति पर मिलने वाली सारी सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी।

उपभोक्ताओं को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी हालत और ख़राब हो गई है। देश के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई को प्री–पेड कर दिया गया है। उन्हें अब बिजली का उपभोग करने से पहले भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिहार में एक जगह प्री–पेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में खराबी के कारण 13,000 उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। कुछ अन्य स्थानों पर लोग प्री–पेड खातों को रिचार्ज करने के बाद बिजली की बहाली में देरी की शिकायत कर रहे हैं। कई जगहों पर उपभोक्ता इसे लगाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे स्मार्ट मीटर की लागत वसूल होने से उनका बिल बढ़ जाएगा।

उपभोक्ता को बिजली का उपभोग करने से पहले भुगतान करने को मजबूर करने से, प्री–पेड प्रणाली लागू होने के बाद निजी बिजली इजारेदारों के उपयोग के लिए हजारों करोड़ रुपये उपलब्ध हो जायेंगे।

बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां डिस्कॉम से बिजली की आपूर्ति से पहले ही अग्रिम भुगतान की मांग भी कर सकेंगी! **हमें याद रखना चाहिए कि लगभग 50 प्रतिशत बिजली का उत्पादन पहले से ही निजी कंपनियों के हाथों में है!**

जबकि आरडीएसएस के तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करने और बिजली वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य वांछनीय हैं, समस्या यह है कि सुधार का फ़ायदा बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। यह पिछले अनुभव से पता चलता है। देश में एटी एंड सी घाटा 2011–12 में लगभग 28 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 17 प्रतिशत हो गया है, लेकिन इस अवधि के दौरान बिजली की दरें साल दर साल बढ़ी हैं। सुधार के फ़ायदे को उत्पादन और वितरण कंपनियों ने अपनी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए पूरी तरह से हड़प लिया है।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को कैसे नुक़सान करेगा :

1. **अग्रिम भुगतान :** सभी स्मार्ट मीटर प्री–पेड होने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग करने से पहले अग्रिम भुगतान करना होगा। इससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्री–पेड राशि समाप्त होने पर बिजली अपने आप कट जाएगी। यदि वे नहीं चाहते कि बिजली कट जाए तो उन्हें खपत का हिसाब रखना होगा और बैलेंस शून्य होने से पहले अपने मीटर को रिचार्ज करना होगा।

2. **टीओडी टैरिफ सिस्टम :** स्मार्ट मीटर दिन के अलग–अलग समय के लिए अलग–अलग दरें चार्ज करना सक्षम कर देगा, जिसे टाइम ऑफ द डे (टीओडी) टैरिफ सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब मांग के आधार पर गतिशील टैरिफ निर्धारण होता है – जब मांग अधिक होती है तो उच्च दर और मांग कम होने पर दर कम। सरकार की घोषणा के अनुसार, सूरज की रोशनी वाले 8 घंटों के दौरान बिजली दरें नियमित दरों से 10–20 प्रतिशत कम होंगी और व्यस्ततम खपत घंटों के दौरान 10–20 प्रतिशत अधिक होंगी। अप्रैल 2025 से सभी उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ लागू करने की योजना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

   सरकार का दावा है कि इससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की खपत को कम करके अपने बिजली के बिल को कम करने में मदद मिलेगी। यह झूठ है।

   जब शाम/रात के समय हर कोई घर पर होता है तो खपत अधिक होना स्वाभाविक है। इसलिए टीओडी टैरिफ लागू होने पर उपभोक्ताओं के बिल कम होने के बजाय वास्तव में बढ़ जाएंगे।

3. **बिजली दरों में बढ़ोतरी :** आरडीएसएस ने बिजली दरों के निर्धारण को लेकर कई शर्तें रखी हैं। टैरिफ तय करते समय सभी लागतों को शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी क़ीमत को टाला नहीं जा सकता। टैरिफ को सालाना संशोधित किया जाना चाहिए। यदि कोई

सब्सिडी दी जानी है, तो उसकी राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से दी जानी चाहिए, जैसा कि एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के मामले में किया गया था।

एक बार ये सभी शर्तें लागू हो जाएंगी तो अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ जाएंगी। दरों में कोई क्रॉस सब्सिडी नहीं होगी, यानी कुछ ग्राहकों के लिए ऊंची दर रख कर ग़रीब ग्राहकों के लिए कम दर। भले ही राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से ग्राहकों की एक श्रेणी को सब्सिडी देने का निर्णय लेती है, लेकिन सब्सिडी धीरे–धीरे गायब हो जाएगी जैसा कि एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के साथ हुआ है।

कई ग्राहकों के लिए बिजली पहुंच से बाहर हो जाएगी।

4. **स्मार्ट मीटर की लागत और सीमित जीवन :** जबकि उपभोक्ताओं को शुरुआत में स्मार्ट मीटर और सूचना और निगरानी प्रणालियों की पूरी लागत का भुगतान नहीं करना होगा, इसे टैरिफ के हिस्से के रूप में वर्षों में वसूल किया जाएगा। चूँकि स्मार्ट मीटरों की जीवन अवधि 7–10 वर्ष तक सीमित होती है, इसलिए उनके प्रतिस्थापन का बोझ भी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

5. **शिकायत निवारण :** चूंकि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली का प्रबंधन एक निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा, इसलिए उपभोक्ता अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उसकी दया पर निर्भर होंगे। जहां भी निजी कंपनियों को बिलिंग और कलेक्शन के लिए फ्रेंचाइजी के रूप में पेश किया गया है, वहां उपभोक्ताओं का अनुभव बहुत कड़वा रहा है।

स्मार्ट मीटरिंग योजना हमारे देश के बहुत सारे लोगों को, आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता, बिजली से वंचित कर देगी। बिजली का पूर्ण निजीकरण होने पर यह मुनाफ़ाखोरी का ज़रिया बन जायेगी।

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों को कैसे नुक़सान होगा?

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों पर दोहरी मार पड़ेगी, सबसे पहले, बिजली के उपयोगकर्ताओं के रूप में, क्योंकि अन्य उपभोक्ताओं की तरह उन्हें भी अत्यधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा और दूसरे, डिस्कॉम के निजीकरण के कारण मज़दूरों के रूप में।

सरकार बिजली कर्मियों से प्री–पेड स्मार्ट मीटर की स्थापना का समर्थन करने के लिए कह रही है क्योंकि जब वे लंबित बिल वसूल करने जाएंगे या अतिदेय बिल के मामलों में बिजली काटने जाएंगे तो वे उपभोक्ताओं के क्रोध से बच जाएंगे। **परन्तु, यह फायदा अल्पकालिक होने की संभावना है क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली चालू होने के तुरंत बाद इनमें से कई कर्मियों की नौकरी जाने की संभावना है।** संपूर्ण बिलिंग और संग्रहण के साथ–साथ मीटरिंग से जुड़ी सभी गतिविधियां स्मार्ट मीटर लगाने वाली निजी कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाएंगी। केवल एक राज्य तमिलनाडु में, यूनियनों का अनुमान है कि लगभग 20,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे।

डिस्कॉम का निजीकरण होने पर बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों पर और अधिक मार पड़ेगी। निजीकरण के कारण उनकी नौकरी की सुरक्षा हमेशा के लिये खत्म हो गई है, बड़े पैमाने पर स्थायी नौकरियों की जगह संविदा वाली नौकरियां आ गई हैं और मज़दूरों के लाभों में कटौती हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूर एयर इंडिया के निजीकरण से मिली सीख को भूल नहीं सकते। निजीकरण के बाद रोज़गार की मौजूदा शर्तों की गारंटी केवल एक वर्ष के लिए थी। टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के एक साल के भीतर तीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं (वीआरएस) पेश कीं। मज़दूर जानते हैं निजी कंपनी में वीआरएस कितना 'स्वैच्छिक' है!

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिजली कर्मचारियों की कई यूनियनें इस योजना का विरोध कर रही हैं क्योंकि प्री–पेड स्मार्ट मीटर से मीटरिंग और बिलिंग से संबंधित बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी।

कर्मचारियों का समर्थन जीतने के लिए एक और तर्क दिया गया कि प्री–पेड स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी में कमी आएगी। इससे उनकी वितरण कंपनी की वित्तीय सेहत में सुधार आएगा।

डिस्कॉम की ख़राब वित्तीय स्थिति के लिए बिजली क्षेत्र के मज़दूर ज़िम्मेदार नहीं हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियां हैं जिन्होंने डिस्कॉम को पंगु बनाया है। उन्हें डिस्कॉम और उपभोक्ताओं दोनों की क़ीमत पर निजी जेनको के लिए अत्यधिक अनुकूल शर्तों पर बिजली की खरीद के समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है। इन पीपीए के तहत, भले ही उन्होंने जेनको से कोई बिजली न ली हो, डिस्कॉम को जेनको को भुगतान करना होगा!

बिजली मुनाफ़ाखोरी का स्रोत नहीं होना चाहिए!

हम मज़दूरों और उपभोक्ताओं को इस सोच को चुनौती देनी चाहिए कि बिजली की आपूर्ति लाभदायक होनी चाहिए। **बिजली, परिवहन, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाओं को लाभ का स्रोत नहीं माना जा सकता है!**

सरकार सभी को **किफायती दरों** पर बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी छोड़ रही है। **सरकार केवल इसलिए कर एकत्र करती है क्योंकि सभी के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है। अप्रत्यक्ष कर का भुगतान सभी करते हैं, चाहे वे कितने भी ग़रीब क्यों न हों। करों में अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है।**

हम मज़दूरों को ऐसी नीतियों पर जोर देना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश का कोई भी नागरिक बिजली से वंचित न रहे।

स्मार्ट मीटरिंग योजना हमारे देश के कई लोगों को आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता बिजली से वंचित कर देगी। **ज़िम्मेदार नागरिक**

होने के नाते और मज़दूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान, "एक पर हमला सभी पर हमला है!" के प्रति सच्चे होने के नाते, हम मज़दूरों को अपने साथी भारतीयों के हितों को सुरक्षित रखना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि प्री–पेड स्मार्ट मीटरिंग योजना और आरडीएसएस के अन्य घटकों का वास्तविक उद्देश्य निजीकरण के लिए बिजली वितरण को आकर्षक बनाना है।

उपभोक्ता और बिजली क्षेत्र के मज़दूर केंद्र और राज्य सरकारों के दावों से मूर्ख नहीं बन सकते।

स्मार्ट मीटर योजना निजीकरण के विरोध को कमज़ोर करने के लिए है

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों, किसानों के साथ–साथ अन्य संगठनों के मज़दूरों, अपने एकजुट कार्यों के माध्यम से, बिजली वितरण का निजीकरण करने के उद्देश्य से बिजली संशोधन विधेयक (ईएबी) को पारित करने के केंद्र सरकार के बार–बार के प्रयासों को विफल करने में अब तक सफल रहे हैं।

ईएबी को वापस लें, किसानों के साल भर के संघर्ष की प्रमुख मांगों में से एक थी। केंद्र सरकार ने उन्हें लिखित में आश्वासन दिया कि ईएबी को उनसे परामर्श के बिना संसद में नहीं रखा जाएगा। फिर भी, सरकार विधेयक को संसद में रखने के लिए आगे बढ़ी।

ईएबी 2022 का ख़तरा अभी दूर नहीं हुआ है। इसे संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा था लेकिन अब लोकसभा भंग होने के कारण वह कालातीत हो गया है। सरकार चुनाव के बाद किसी भी समय इसे फिर से लोक सभा में रख सकती है।

संसदीय मंजूरी को दरकिनार करने के लिए, केंद्र सरकार बिजली नियमों में संशोधन कर रही है और निजीकरण को सक्षम करने के लिए आरडीएसएस जैसी योजनाएं पेश कर रही है।

निष्कर्ष

प्री–पेड स्मार्ट मीटर न तो बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के हित में है और न ही देश के उपभोक्ताओं के हित में है। प्री–पेड स्मार्ट मीटर केवल बड़े कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाएंगे जो अब अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए देश की संपूर्ण बिजली व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं।

बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विभिन्न प्रयासों का विरोध करने के लिए बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के बैनर तले अनुकरणीय एकता का प्रदर्शन किया है। एनसीसीओईईइ ने ठीक ही कहा है कि प्री–पेड स्मार्ट मीटर की स्थापना से बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच के अधिकारों पर अंकुश लगेगा।

प्री–पेड स्मार्ट मीटर लगाकर पिछले दरवाजे से बिजली के वितरण का निजीकरण करने की सरकार की नापाक कोशिश को प्रत्येक मज़दूर और उपभोक्ता को यह बताकर कि इससे उन्हें क्या नुक़सान होगा, उन्हें जागरूक करके और इसके ख़िलाफ़ एकजुट होकर हराया जाना चाहिए!

परिशिष्ट

प्री–पेड स्मार्ट मीटरिंग योजना

1. स्मार्ट मीटरिंग योजना को पीपीपी के ज़रिये लागू किया जाना है। यह योजना, डिस्कॉम को अपने दम पर योजना लागू करने की अनुमति नहीं देती है।

2. सभी स्मार्ट मीटर प्री–पेड मीटर के रूप में लगाए जाएंगे, जब तक कि डिस्कॉम ऐसा न करने का निर्णय न ले।

3. यह निजी कंपनी डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व, संचालन करेगा और परियोजना अवधि (जैसे, 10 वर्ष) के अंत में संपूर्ण मीटरिंग प्रणाली को डिस्कॉम को हस्तांतरण करेगा। निजी कंपनी की इस व्यवस्था के निर्माण के लिए सभी पूंजीगत व्यय वहन करेगा और संपूर्ण परियोजना अवधि के दौरान परिचालन व्ययायानी कुल व्यय भी वहन करेगा।

4. स्मार्ट मीटरिंग परियोजना में न केवल स्मार्ट मीटर की स्थापना शामिल है, बल्कि उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के बीच खपत, बिलिंग, भुगतान आदि के बारे में दो–तरफा संचार प्रणाली और सभी मीटर डेटा को कैप्चर करने और इसे संग्रहित करने के लिए सॉफ्टवेयर भी शामिल है।

5. योजना के एक भाग के रूप में, बिजली फीडर लाइनों और ट्रांसफार्मर से आने–जाने वाली लाइनों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि बिजली की हानि और चोरी कहाँ हो रही है।

6. बोली के अनुसार, निजी कंपनियों को उनके द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय के बदले अनुबंध की अवधि के लिए डिस्कॉम द्वारा प्रति माह प्रति मीटर शुल्क का भुगतान किया जाएगा। निजी कंपनी को किया जाने वाला कुल मासिक भुगतान स्वचालित रूप से डिस्कॉम के बैंक खाते से निजी कंपनी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

7. योजना के तहत, केंद्र सरकार डिस्कॉम को मीटर की लागत का 15 प्रतिशत या 900 रुपये प्रति मीटर, जो भी कम हो, तक धनराशि प्रदान करेगी। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यह लागत का 22.5 प्रतिशत या 1350 रुपये प्रति मीटर, जो भी कम हो, तक देगी। यह प्री–पेड स्मार्ट मीटरिंग योजना को लागू करने के लिए डिस्कॉमों के लिए एक प्रोत्साहन की तरह है। स्मार्ट मीटर लगने और पूरा सिस्टम चालू होने के बाद ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। 31 दिसंबर, 2023 तक लगाए गए मीटरों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन था।

8. इस योजना का एक घोषित उद्देश्य 2024–25 तक अखिल भारतीय स्तर पर बिजली वितरण में एटी एंड सी घाटे को 12–15 प्रतिशत तक कम करना है।

9. आरडीएसएस किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान करने के लिए कृषि फीडरों (बिजली आपूर्ति लाइनों) को अन्य बिजली लाइनों से अलग करने और "कृषि फीडरों के सोलराइजेशन" की परिकल्पना करता है। सोलराइजेशन का मतलब है कि किसानों को सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

10. आरडीएसएस अन्य कार्यों के अलावा निम्नलिखित कार्यों की परिकल्पना करता है :

– यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाना कि **सरकारी विभाग** उपभोग की गई बिजली का **तुरंत भुगतान** करें।

– यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाना कि सब्सिडी वाली श्रेणियों द्वारा खपत का उचित हिसाब लगाया जाए और भुगतान डिस्कॉम को अग्रिम रूप से जारी किया जाए। **इसके अलावा सब्सिडी डीबीटी तंत्र के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।**

– **बिजली दर सालाना तय की जानी चाहिए; इसमें विवेकपूर्ण लागतें प्रतिबिंबित होनी चाहिए और जो लागतें प्रतिबिंबित नहीं होती हैं और जिन्हें डिस्कॉम/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है, उन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए।**

– **संचित और चालू वित्तीय घाटे के वित्तपोषण** के लिए एक योजना तैयार करना और उसका पालन करना।

– **डिस्कॉम के कुछ क्षेत्रों में वितरण फ्रेंचाइजी व्यवस्था करना।**

– डिस्कॉम कर्मचारियों के लिए कार्य प्रदर्शन से जुड़ी स्थानांतरण नीति की शुरुआत।

आह्वान करने वाले संगठनों की सूची का शेष

24. कोयला मज़दूर सभा (HMS),
25. लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (डीएमके)
26. लड़ाकू गारमेंट मज़दूर संघ (LGMS)
27. महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लोयीज फेडरेशन (MSBEF)
28. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR)
29. नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लोयीज (NFPE)
30. स्टील प्लांट एम्प्लोयीज यूनियन (RINL)

किसान संगठन

31. ऑल इंडिया किसान खेत मज़दूर सभा (AIKKS)
32. ऑल इंडिया किसान महासभा (AIKM)
33. ऑल इंडिया किसान मज़दूर सभा (AIKMS)
34. ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS)
35. भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां)
36. इंडियन एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन (IAWU)
37. कीर्ति किसान यूनियन
38. क्रांतिकारी किसान यूनियन

जन संगठन

39. भारतीय महिला फेडरेशन, महाराष्ट्र
40. भिवंडी जन संघर्ष समिति (BJSS)
41. फातिमा शेख स्टडी सर्कल, मुम्ब्रा
42. जमात–ए–इस्लामी हिंद (ठाणे)
43. लोक राज संगठन (LRS)
44. पुरोगामी महिला संगठन (PMS)
45. सर्वहारा जन आंदोलन
46. सर्वहारा जन मोर्चा

निम्नलिखित संगठनों द्वारा आह्वान

बिजली कर्मचारियों के संगठन

1. नेशनल कॉर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्प्लोयीज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) – बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के सभी फेडरेशनों का एक व्यापक आधार वाला राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म
2. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लोयीज (AIFEE)
3. इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI)
4. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (MSEWF)
5. कर्नाटक पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन एम्पलोयीज यूनियन
6. टीएनईबी एम्पलोयीज प्रोग्रेसिव यूनियन

अन्य मज़दूरों के संगठन

7. ऑल इंडिया बैंक एम्पलोयीज एसोसिएशन (AIBEA)
8. ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी ऑर्गेनाजेशंस (ऑल इंडिया परिसंघ)
9. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलोयीज फेडरेशन (AIDEF)
10. सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP)
11. ऑल इंडिया इन्शुरेंस एम्पलोयीज एसोसिएशन (AIIEA)
12. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA)
13. ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF)
14. ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमेंटेनर्स यूनियन (AIRTU)
15. ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एमप्लोयीज फेडरेशन (AISGEF)
16. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA)
17. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (AITUC)
18. ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUTUC)
19. बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन
20. आईडीबीआई एम्पलोयीज एसोसिएशन (IDBIEA)
21. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (INTUC)
22. इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मज़दूर यूनियन (IRSTMU)
23. कामगार एकता कमिटी (KEC) / मज़दूर एकता कमेटी (MEC) / तोयिलालर ओट्टूमइ इयक्कम (TOI)

मई 2024; निजी वितरण के लिये, स्वैच्छिक योगदान

संपर्क : फोन व वाट्सएप्प – 8454018757; ई–मेल : contact@aifap.org.in